न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 02 / 2025 प्रार्थना पत्र (GCMS 2025/147)
पंजीयन दिनांक– 31.07.2025
निर्णय दिनांक– 09.02.2026

1. मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, मकराना रोड़ मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर, मुख्यालय–17 ओल्ड फतहपुरा, उदयपुर तथा आर. के. नगर, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ जरिये प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सत्येन्द्र दवे, निवासी 17, ओल्ड फतहपुरा, उदयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. देवस्थान विभाग, राजस्थान जरिये आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री चारभुजाजी स्थानदेह, मालियाखेड़ी जरिये पुजारी मंदिर श्री चारभुजाजी, मालियाखेडी, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री रोशनलाल जैन – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के प्रकरण संख्या 196 / 2024 निर्णय दिनांक 14.07.2025

<u>निर्णय</u>

दिनांक 09.02.2026

प्रार्थी द्वारा यह पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 196 / 2024 निर्णय दिनांक 14.07.2025 के विरूद्ध दिनांक 31.07.2025 को पेश किया गया।

पत्रावली में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल जैन उपस्थित तथा रेस्पोडेंट्स की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 04.02.2026 को सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 196/2024 अनवान श्री चारभुजाजी स्थानदेह जरिये पुजारी मंदिर श्री चारभुजाजी, मालियाखेड़ी, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ व अन्य बनाम मैसर्स वण्डर सीमेंट में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2025 से अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2023 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया।

उक्त निर्णय से रूष्ठ होकर प्रार्थी द्वारा यह आलोच्य प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा जो प्रमुख उज्र लिये गये हैं, वह यह है कि न्यायालय हाजा द्वारा राजस्थान लोक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 31 का अवलम्बन लिया जाकर उक्त अपील प्रतिप्रेषित की है, जो विधि विरूद्ध है, जिसको रिव्यू किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की डी. बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 396/2020 एवं 397/2020 डोली मंदिर श्री महादेवजी बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 04.11.2022 का अवलम्बन लिया है, जो किसी भी रूप में प्रार्थी के प्रकरण पर लागु नहीं होता है, क्योंकि अवाप्ताधीन भूमि खनन क्षेत्र के बाहर की तरफ स्थित होकर खनन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कतई नहीं है। प्रार्थी कंपनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खनन क्षेत्र के अंदर स्थित

है, ऐसी सुरत में उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय दिनांक 04.11.2022 वर्तमान प्रकरण पर बाध्यकारी नहीं है। अतः उक्तानुसार प्रार्थी का पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 14.07.2025 को पुनः अवलोकन किया जावे व उचित आदेश प्रदान किया जावें। इसके विरूद्ध रेस्पोंडेंट्स द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय को सही बताते हुए पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की तथा यह भी निवेदन किया कि मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज भूमि प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आती है, अतएवं मंदिर मुर्ति के हितों एवं माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी. बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 396/2020 डोली मंदिर श्री महादेवजी बनाम राज्य जरिये राजस्व सचिव व अन्य एवं 397/2020 डोली मंदिर श्री महादेवजी बनाम राज्य जरिये राजस्व सचिव व अन्य में दिये गये आदेश दिनांक 04.11.2022 के परिप्रेक्ष्य में मंदिर मूर्ति के खाते में दर्ज भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ नही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली व रेकर्ड का अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय में दायर डी. बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 396/2020 डोली मंदिर श्री महादेवजी बनाम राज्य जरिये राजस्व सचिव व अन्य एवं 397/2020 डोली मंदिर श्री महादेवजी बनाम राज्य जरिये राजस्व सचिव व अन्य में दिनांक 04.11.2022 इकजाई रूप से निर्णय पारित करते हुए भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के अंतर्गत जिला कलक्टर को मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज भूमि को माईनिंग लीज हेतु किसी अन्य के नाम दर्ज किये जाने की कार्यवाही उनके अधिकार क्षेत्र से परे माना गया है, (that as no materil available to the District Collector even prima facia indicate that the khatedari land of the temple was covered under the mining lease in question, he had no jurisdiction to entertain the application under Section 89 of the Land Revenue Act. Thus, the proceedings

before the District Collector were without jurisdiction) इसके उपरांत भी कतिपय जिला कलक्टरों द्वारा मंदिर भूमि के संदर्भ में धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण रेकॉर्ड में भूमि बिलानाम, सिवायचक माईनिंग लीज अंकित करने के आदेश दिये जा रहे है, जो कि स्पष्ट तौर पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है।

उपरोक्तानुसार मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज भूमि प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आती है, अतएवं मंदिर मुर्ति के हितों एवं माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी. बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 396/2020 डोली मंदिर श्री महादेवजी बनाम राज्य जरिये राजस्व सचिव व अन्य एवं 397/2020 डोली मंदिर श्री महादेवजी बनाम राज्य जरिये राजस्व सचिव व अन्य में दिये गये आदेश दिनांक 04.11.2022 के परिप्रेक्ष्य में मंदिर मूर्ति के खाते में दर्ज भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ नही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रार्थी कंपनी द्वारा राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 31 कतिपय अंतरणों हेतु सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग से बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये तथा न्यासी को सुनवाई का यथोचित अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय सें अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 अंतर्गत मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज भूमि स्वयं के स्तर पर अवाप्त कर बिलानाम, सिवायचक, माईनिंग लीज हेतु किसी अन्य के नाम दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जो उचित नही है, क्योंकि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार कानून, 2013 अनुसार अवाप्ति संबंधित कार्यवाही की पूर्ण पालना नहीं की गई है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र साबित नही पाया जाने से पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 196/2024 निर्णय दिनांक 14.07.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

(सी. आर. देवासी)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर